

22 नवंबर, 2021

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) की तीसरी, चौथी और पांचवीं उप समिति को 29 सितंबर 2021 को आयोजित एनएबी की 38वीं बैठक से पहले स्थापित किया गया है। इस उपसमिति के निर्णय के आधार पर एपीडा द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के गैर-अनुपालन और उल्लंघन के लिए **ऑर्किड एक्विजम इंडिया (पी) लिमिटेड, श्याम इंडस्ट्रीज, राज फूड इंटरनेशनल, एक्यूरा एंटरप्राइजेज, उंझा एगो कंपनी, एग्री फूड प्रोडक्ट्स और KV एगो प्रोडक्ट्स** पर जैविक उत्पादों के निर्यात पर एक साल का आर्थिक प्रतिबंध और पेनल्टी लगाई गई है।
2. एनपीओपी के गैर-अनुपालन और उल्लंघन के लिए **धवल एग्री एक्सपोर्ट एलएलपी गुजरात, वेराल एगो टेक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडिया, महाराष्ट्र** पर जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे एक साल के आर्थिक प्रतिबंध और पेनल्टी को हटाया गया है।
3. एनपीओपी के गैर-अनुपालन और उल्लंघन के लिए **अमृतवा फाइन फूड्स, गुजरात** पर आर्थिक पेनल्टी लगाई गई है।

यू.के. वत्स
महाप्रबंधक